

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

K.T.S No.- 13/1992

बालदेव देवगम एवं अन्य।

बनाम

सुरजा हो एवं अन्य।


आदेश


यह वाद दिनांक- 21.12.1992 को वादी बालदेव देवगम, पिता- स्व० लम्बा उर्फ भोरतो देवगम, निवासी ग्राम- कमारहातु, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम एवं 08 अन्य के द्वारा वाद पत्र के Schedule "A" में वर्णित मौजा- मतकमहातु, थाना संख्या- 642, नया खाता संख्या- 155 (पुराना खाता संख्या- 81), प्लॉट संख्या- 66 एवं 67, रकवा क्रमशः- 0.14 एकड़ एवं 0.06 एकड़, कुल रकवा- 0.20 एकड़ भूमि का Declaration of right, title and interest over the lands fully described के लिए प्रतिवादी सुरजा हो, पिता- स्व० दारो हो, निवासी ग्राम- जामजुरी, थाना- चम्पुआ, जिला-क्योंझर, उड़ीसा (वर्तमान पता ग्राम- ग्राम- कमारहातु, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम) एवं 03 अन्य के विरुद्ध दिवानी वाद दाखिल किया गया है। इस वाद में कई तिथियों से वादी पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा कोई पैरवी नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि इस वाद में वादीगण या उनके अधिवक्ता की ओर से कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है।

अतः उक्त परिस्थिति में वादी को वाद भूमि में अभिरुचि नहीं रहने के कारण इस वाद को खारिज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।


17.01.23
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


17.01.23
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।